

# मादेशगवा (सदर)



भि.वि.वि. खण्ड-प्रतापगढ़

प्रक्रमण धनराशि जमा रसीद संख्या .....

सम्बन्धित विद्युत उपसंस्थान का नाम .....

दिनांक.....

सम्बन्धित उपखण्ड का नाम .....

आवेदक की साइट की जांच की.....अश्वशक्ति

की मीटर पानी उठने में सक्षम है तथा आवेदन के खिलाफ कोई चैकिंग/

विजिलेंस की कार्य नहीं हुई है।

ह० अवर अभियन्ता



कोषाध्यक्ष,  
उपभोक्ता के आग्रह पर सरतः प्रार्थना पत्र स्वीकार  
कि विभाग में सामान उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही होगी।  
कृपया 200/- रु. प्रक्रमण धनराशि जमा करें।  
अधि. अभियन्ता

निजी नलकूप विधा के लिए  
.....अश्वशक्ति  
प्रभार स्वीकृत किया जाता है।  
सहा.अभि.(र.)/अधि.अभि.

## केवल नलकूपों के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए

### आवेदन-पत्र

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय प्रतापगढ़

- 1- प्रार्थी का नाम और पता ..... रमाशंकर पाठ  
पिता/पति का नाम ..... श्री.बाबूदीन पाठ  
ग्राम..... सासपुरा पोस्ट उडी मौजा.....  
ब्लाक..... आसपुर देवसरा जिला धारा प्रतापगढ़
2. बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके आवेदन पत्र दिया  
जा रहा है। साइट जहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं।  
..... 3.H.P. अश्वशक्ति
- 3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसको नलकूप से सिंचाई की  
जायेगी। जमीन के दुकड़ों का पूरा विवरण, उनका नाम,  
संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाय।  
ग्राम..... सासपुरा ब्लाक..... आसपुर देवसरा  
..... शिवरा संतलन
- 4- क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे स्थान फक्के कुएँ  
आदि से की जा सकती है?  
..... नहीं
- 5- अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी  
और अब उनसे आगे काम क्यों नहीं लिया जा सकता।  
..... संतलन
- 6- क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या  
नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र/कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत  
आता है।  
..... नहीं
- 7- क्या नलकूप की बोरिंग की गई और पम्प तथा मोटर लगा  
दिये हैं।  
..... हां
- 8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर  
के बीच की दूरी।  
..... नहीं
- 9- नलकूप के स्थान से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी  
यदि कोई है।  
..... 2.5 मीटर
- 10- पाइप का व्यास, चलना (स्ट्रनर) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई)  
की गहराई, झोत की सतह पहले पानी फटने की सतह की  
गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रत घंटे गैलनों में।  
..... संतलन
- 11- प्रक्रमण शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक
- 12- छोट का नम्बर जिसमें प्रार्थी की बोरिंग करवाया।

दिनांक.....

मि०११०८  
(मा०१०८/११०८)

# खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संस्तुति

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं० गाटा h/w 5/2 में पूर्ण है।  
अतः 3:11P अवश्य शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(ब) मेरे द्वारा साइट की जांच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है।  
प्रदीप, जय श्री रामाशंकर S/O भगवान दीन पाल निवासी गाटा  
मस्जिदा गाटा जय श्री रामाशंकर की साइट पर सफलतापूर्वक  
नल रही है। नए विद्युत कनेक्शन देय-साइट  
अधिकारी को जारी है।  
खण्ड विकास अधिकारी  
आ.स.पुर देवसरा प्रतापगढ़  
बी.डी.ओ. की मुहर सहित  
दिनांक.....

में रामाशंकर S/O भगवान दीन पाल घोषणा करता हूँ कि

- (1) मैं ग्राम मस्जिदा ब्लाक आ.स.पुर देवसरा  
डा० डाही तहसील पट्टी
- (2) मैं/हम अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/रहे हैं।
- (3) यह है कि यह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई याद-विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
- (4) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकमण शुल्क/प्राथमिकता शुल्क जमा करने को तैयार हूँ/हैं।
- (5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।
- (6) ✓ मेरा/हमारा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है।
- (7) ✓ यह खातेदारों का शपथ पत्र संलग्न है।
- (8) ✓ फोटो प्रमाणित है।
- (9) ✓ खसरा, खतौनी संलग्न है।
- (10) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर विवाद काया हो या कोई विलीनिस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्याई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।
- (11) प्रार्थना पत्र सरावत स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग को जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुसन्धान करने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरसत हो जायेगा।
- (12) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।



फिरोज  
फारिशी (S/O)  
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

आवेदन का नाम रामाशंकर पाल

(प्रधान/ब्लाक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम भगवानदीन पाल

नाम.....

पता.....

पता मस्जिदा गाटा पो० डाही

मुहर.....

पट्टी, जि० प्रतापगढ़ (उ०प्र०)



# विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

## अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रूपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

1. मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निम्नलिखित-भू-गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) की ..... प्रक्रिया/प्रक्रिया के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त.....अश्वशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं/ उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्षानुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से किसी ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०
2. मैं/हम एतद् द्वारा समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपयुक्त संभरण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०
3. मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमाउन्ट) के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रेतर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०
4. मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूमि (गारण्टी) (सर्जार्ज) में जो भी कमी आदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जब बिल के देरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समान को ले जाने के लिये वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचन बद्ध नहीं होते हैं।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०
6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। हम, एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की शर्तों को पालन करूंगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् यती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूंगा/करेंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाइ) ऐक्ट 1948 तदन्तर्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आबद्ध हूंगा/होंगे।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०
7. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आपेक्षित सीमेंट का व्यवस्था करने के लिये वचनबद्ध होते हैं। वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचनबद्ध नहीं होते हैं।  
नि०भा०  
एम०एच०/एम०